टिप्पणी

215hi08

8

डाक एवं कोरियर सेवाएं

क्या आपको इस अध्ययन सामग्री को पढ़ते समय किसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? क्या अब तक पढ़े गये पाठ आपको आसानी से समझ में आ गये है? यदि नहीं, तो कृपया, बेझिझक अपनी कठिनाई विशेष के बारे में "राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (N.I.O.S.) को लिखें।" N.I.O.S. अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान निकालेगा। परन्तु प्रश्न यह है कि आप अपनी समस्याओं को संस्थान तक कैसे पहुचाएंगे? पिछले पाठ में आपने सम्प्रेषण के विभिन्न साधनों के बारे में पढ़ा। उनमें से किसी भी माध्यम से आप हमसे सम्पर्क कर सकते है। उस पाठ में आपने यह भी पढ़ा कि 'लिखित' पत्र सम्प्रेषण का बहुत सरल और आसान माध्यम है। यदि आप हमें कोई पत्र लिखते हैं तो वह हम तक कैसे पहुंचेगा? उसको हमारे पास तक कौन पहुँचाएगा? यह कार्य डाक विभाग या कोई प्राइवेट कोरियर सेवाएं देने वाला करेगा। यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच बिचौलियें का कार्य करता है। प्रेषक पत्र को डाकघर में देता है और डाकघर उस पत्र को सम्बन्धित व्यक्ति तक पहुंचाने के लिये सभी आवश्यक उपाय करता है। इसके अतिरिक्त डाकघर कुछ अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है। इस पाठ में हम डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- डाक सेवाओं का अर्थ और प्रकृति स्पष्ट कर सकेंगे;
- डाकघरों तथा अन्य प्राइवेट कोरियर सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में बता सकेंगे;
- डाक सेवाओं के महत्व का वर्णन कर सकेंगे; और
- निजी कोरियर सेवाओं की भूमिका पहचान सकेंगे।

8.1 डाक सेवाओं का अर्थ

आप किसी डाकघर में अवश्य गये होंगे। वहां आपने क्या किया? आपने वहां से डाक टिकट खरीदे होंगे या कोई पत्र डाक बॉक्स में डाला होगा। कभी आपने मनी आर्डर या पार्सल भेजा होगा या डाकघर के बचत खाते में अपना धन जमा किया होगा। पत्र और पार्सल ले जाना, धन भेजना, जमा स्वीकार करना आदि जैसी विभिन्न सेवाएं डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाती

हैं। इन सभी सेवाओं को डाक सेवाएं कहते हैं।

8.2 डाक सेवाओं का स्वरूप

लिखित संदेशों के सम्प्रेषण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए डाक सेवाएं आरम्भ की गई। अतीत में भी संदशों का लिखित आदान-प्रदान किया जाता था। लेकिन उस समय कुछ व्यक्तियों को लिखित संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए नियुक्त किया जाता था। पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए कबूतरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। हमारी वर्तमान डाक व्यवस्था सड़क और रेल यातायात के साधनों के विस्तार के साथ शुरू हुई। भारत में 1837 तक डाक सेवाएं केवल सरकारी डाक भेजने के लिए ही इस्तेमाल की जाती थी। 1837 के बाद डाक सेवाओं को जनसाधारण के लिए भी उपलब्ध कराया गया। समय के साथ-साथ डाकघर, रूपये भेजने, पार्सल पहुँचाने, बैंकिंग, बीमा और अन्य कई सुविधाएं प्रदान करने लगे।

जैसा कि आप जानते हैं कि डाकघर कई प्रकार के कार्य करता है, जिससे डाक सेवाओं का स्वरूप बहुआयामी हो गया है। आइए, डाक सुविधाओं के स्वरूप पर दृष्टि डालें। डाकघर सेवाएं आम आदमी भी दे सकता है, जबकि कई प्राइवेट कम्पनियों द्वारा भी डाक सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे- ब्लू डार्ट, ब्लेज फ्लैश, डी.एच.एल. आदि। इसे लिखित संचार का सबसे विश्वसनीय साधन माना जाता है। यह आम व्यक्ति द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक मनीआर्डर द्वारा धन पहुँचाने का भी सबसे विश्वसनीय साधन है। इसी तरह यह मूल्यवान वस्तुओं को पहुँचाने का सबसे सहज साधन है।

डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाओं का ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले अनेक लोग लाभ उठाते हैं। क्योंकि ये आसानी से सुलभ हैं, और डाकघरों का तंत्र भी सारे देश में फैला है। इन सुविधाओं का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इनमें कई विकल्प उपलब्ध होते हैं जिन्हें लोग अपनी जरूरत और सुविधानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पत्र लिखने के लिए हम पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफफे का प्रयोग कर सकते हैं।

8.3 डाकघरों द्वारा प्रदत्त सेवाएं (डाक सेवाओं के प्रकार)

भारतीय डाक सेवाओं की मुख्य सेवाएं हैं- पत्र, पार्सल, पैकेट आदि एकत्र करना, छांटना और बाटंना। इसके अतिरिक्त डाकघरों द्वारा व्यापारिक समूहों और आम जनता को कुछ अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। इन सभी सुविधाओं को निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

i. डाक-पत्र सेवा
ii. धन भेजने की सेवा
iii. बैंकिंग सेवा
iv. बीमा सेवा
v. अन्य सेवाएँ

8.4 डाक पत्र सेवा

आप विभिन्न अवसरों पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों को पत्र भेजते हैं। इसी प्रकार आप राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से भी अपनी कठिनाइयों के बारे में पत्र व्यवहार कर सकते हैं। कुछ विशेष अवसरों पर आप अपने मित्रों को बधाई-पत्र और उपहार भी भेजते हैं। इन सभी अवसरों पर आपका संदेश भेजने और आप तक संदेश पहुँचाने में डाकघर अपनी एक विशेष सेवाओं के माध्यम से आपकी सहायता करता है, जिसे डाक सेवा कहते हैं। डाक विभाग की एक मुख्य सेवा है, जिसमें प्रेषक से पत्र ओर पार्सल एकत्र करके उन्हें प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचाया जाता है। भारतीय डाक सेवा अंतर्देशीय ओर अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह की डाक संभालती है। अंतर्देशीय डाक वह है, जिसमें पत्र भेजने वाला एवं पाने वाला दोनों ही एक देश में रहते हैं। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय पत्र वह पत्र है, जिसमें पत्र भेजने वाले एवं पाने वाले, दोनों ही अलग-अलग देशों में रहते हैं।

लिखित संदेश भेजते समय प्रेषक पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे का प्रयोग कर सकता है। पैकेट या पार्सल में कोई वस्तु भेजने के लिए मोटे कागज या कपड़े का रैपर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डाकघर के जरिए डाक भेजने के वैकल्पिक साधन हैं। आइए, डाक सेवा के इन विकल्पों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें।

i) पोस्ट कार्ड

पोस्ट कार्ड लिखित सम्प्रेषण का सबसे सस्ता साधन है। यह एक कार्ड होता है, जिसके दोनों ओर संदेश लिखा जा सकता है। पोस्ट कार्ड पर पाने वाला का पता लिखने के लिए विशेष जगह होती है। डाकघर में दो प्रकार के पोस्ट कार्ड मिलते हैं। एक साधारण पोस्ट कार्ड और दूसरा प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड। साधारण पोस्ट कार्ड का प्रयोग पत्र लिखने के लिए किया जाता है ओर प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड का प्रयोग रेडियो, टेलिविजन, पत्र-पत्रिकाओं में दी गई विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भेजने के लिए किया जाता है। हालांकि दोनों प्रकार के पोस्ट कार्डों का आकार समान है, परन्तु उनका मूल्य और रंग अलग-अलग होता है।

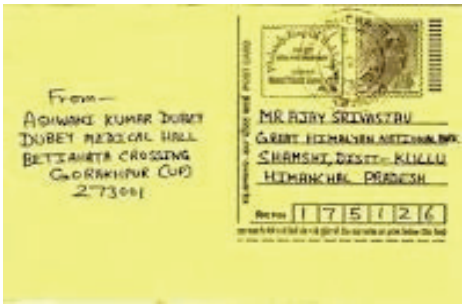

पोस्ट कार्ड

पोस्ट कार्ड पर लिखते समय आपको एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप अपना संदेश शब्दों या चित्र में पोस्ट कार्ड के किसी भी ओर मुद्रित करते हैं, तो अपको अतिरिक्त डाक टिकट लगानी होगी। इस प्रकार के कार्ड को मुद्रित पोस्ट कार्ड कहते हैं। आपने पोस्ट कार्ड के आकार में बधाई कार्ड अवश्य देखें होंगे, जिन पर पत्र या संदेश छपे होते हैं। यह भी एक मुद्रित डाक सामग्री है।

डाकघर में जवाबी पोस्ट कार्ड भी मिलते हैं, जिन्हें संदेश भेजने वाले पोस्टकार्ड के साथ लगा दिया जाता है। इन्हें भेजने से आपको पत्र पाने वाले का जवाब मिल सकता है। वास्तव में इसमें

दो साधारण पोस्ट कार्डों को आपस में जोड़ दिया जाता है। एक पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए किया जाता है औद दूसरे का उत्तर पाने के लिए। प्रेषक जवाबी पोस्ट कार्ड पर अपना पता स्वयं लिख देता है और दोनों कार्डों को बिना अलग किए भेज देता है। जिस पोस्ट कार्ड पर संदेश लिखा है, प्राप्त कर्ता उसे अलग कर लेता है एवं जवाबी कार्ड पर अपना उत्तर लिख कर उसे प्रेषक को भेज देता है।

ii) अंतर्देशीय पत्र

लिखित संदेश पोस्ट कार्ड की तरह अंतर्देशीय पत्र पर भी भेजा जा सकता है। यह पत्र भी डाकघरों से प्राप्त किया जा सकता है और देश में संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट कार्ड के विपरीत अंतर्देशीय पत्र के लिखित भाग को मोड़कर बंद कर दिया जाता है। केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता का नाम और पता ही दिखाई देता है। इस प्रकार संदेश की गोपनीयता सुनिश्चित रहती है। परंतु अंतर्देशीय पत्र में किसी प्रकार की वस्तु या कागज संलग्न नहीं किया जा सकता है। विदेशों में पत्र भेजने के लिए ऐरोग्राम किया जाता है, जो अंतर्देशीय पत्र जैसा ही होता है।

अंतर्देशीय पत्र

iii) लिफाफा

आपने पढ़ा कि पोस्टकार्ड या अंतर्देशीय पत्र पर संदेश लिखा जा सकता है, पर पोस्ट कार्ड, गोपनीय संदेश भेजने के लिए अनुपयुक्त है। अंतर्देशीय पत्र में भी कोई वस्तु या कागज संलग्न नहीं किया जा सकता, हालांकि इसमें संदेश गोपनीय बना रहता है। अब मान लीजिए कि आपको किसी संगठन में नौकरी के लिए आवेदन पत्र या जीवन विवरण (Bio-data) भेजना है। क्या आप उसे डाक के जरिए भेज सकते हैं? हां, इन्हें भेजने के लिए आपको डाक लिफाफे की आवश्यकता होगी अथवा सामान्य लिफाफे की, जिस पर डाक टिकट चिपका होता है। यह कागज का एक ओर से खुला हुआ छोटे आकार का पैकेट होता है। लिखित संदेश को उसके अंदर डालकर लिफाफे को बन्द करके पाने वाले को भेज दिया जाता है।

डाक-लिफाफा

लिफाफे सभी डाकघरों में उपलब्ध होते हैं। पत्र और अन्य दस्तावेज भेजने के लिए सभी सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों और व्यापारिक कंपनियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। पत्र भेजने के अलावा लिफाफे के जरिए हम तस्वीरें, बधाई पत्र जैसी कम भार वाली

वस्तुएं भी भेज सकते हैं। डाकघर में आपको अलग-अलग प्रकार के लिफाफे मिलेंगे, जैसे- साधारण लिफाफा, रजिस्टर्ड डाक के लिए लिफाफा, आदि। यदि भेजे जाने वाले दस्तावेज का वजन निश्चित सीमा के भीतर है, तो इन लिफाफों पर कोई अतिरिक्त डाक टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि वजन निर्धारित सीमा से ज्यादा हो तो डाक विभाग की दरों के अनुसार अतिरिक्त डाक टिकट लगानी होती है। यदि आपका दस्तावेज डाकघर में मिलने वाले लिफाफों के अन्दर नहीं आता है, तो आप अपना लिफाफा बना सकते हैं या बाजार से लिफाफा खरीद सकते हैं। वैसे भी डाकघरों में मिलने वाले लिफाफों का इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं है।

iv) पार्सल डाक

मान लीजिए आपको निकट के शहर में रहने वाले अपने मित्र को पुस्तक भेजनी है। क्या आप उसे डाक के जरिए भेज सकते हैं? हां, इसे डाकघर की पार्सल सेवा के माध्यम से भेजा जा सकता है। आइए, इसके सम्बंध में जानें। डाक विभाग की जिस सुविधा के जरिए पार्सल के रूप में वस्तुएं भेजी जा सकती हैं, उसे पार्सल डाक कहते हैं। यह पार्सल पहुंचाने का विश्वसीनय और सस्ता साधन है। इसके अंतर्गत निश्चित आकार और वजन के पार्सल देश में और विदेशों में भेजे जा सकते हैं। डाक शुल्क पार्सल के वजन के अनुसार लिया जाता है। अंतर्देशीय और विदेशी पार्सल डाक के लिए अलग-अलग डाक व्यय देना होता है।

पार्सल डाक का एक दृश्य

v) बुक-पोस्ट

मुद्रित सामग्री, किताबें, पत्रिकाएं, बधाई पत्र आदि बुकपोस्ट के जरिए भेजे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत किताबें और दस्तावेजों के लिफाफे बंद किए जाते हैं लेकिन उन्हें मोहर बंद नहीं किया जाता। लिफाफे के बाहर बुक-पोस्ट लिखा जाना चाहिए। बुक-पोस्ट पर डाक शुल्क बंद लिफाफों के मुकाबले कम होता है।

बुक-पोस्ट

पाठगत प्रश्न 8.1

उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

i. ऐरोग्राम के जरिए _____ को लिखित संदेश भेजा जाता है।

ii. साधारण पोस्ट कार्ड और प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड के ____________ में अंतर होता है।

iii. साधारण अन्तर्देशीय पार्सलों पर डाक शुल्क ____________ अनुसार अलग-अलग होता है।

iv. बुक-पोस्ट पर डाक शुल्क बंद लिफाफों पर डाक शुल्क से ____________ होता है।

v. जब कोई ____________ संदेश भेजना हो तो पोस्ट कार्ड के बजाय अर्न्देशीय पत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

8.5 धन भेजने की सुविधाएँ

मान लीजिए कि आप अपने घर से दूर किसी जगह पर नौकरी करते हैं और आप अपने घर वालों को पैसे भेजना चाहते हैं। आप डाकघर की धन भेजने संबंधी सुविधाओं के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। डाकघर मनी आर्डर और पोस्टल आर्डर सुविधाएं प्रदान करते हैं। जिनकी मदद से लोग अपना धान देश के अंदर-बाहर भेज सकते हैं। आइए मनी आर्डर और पोस्टल आर्डर के बारे में जानें।

i) मनी आर्डर

मनीआर्डर सेवा से डाकघर के जरिए धन भेजा जा सकता है। यह एक डाकघर द्वारा दूसरे डाकघर को जारी किया जाने वाला आर्डर या आदेश है। जिसके तहत उस डाकघर को व्यक्ति विशेष को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। यदि आप धन भेजना चाहते हैं, तो पहले आपको एक मनी आर्डर फार्म भरना होगा, जो सभी डाकघरों में कुछ भुगतान पर मिलता है। भरे हुए फार्म को भेजी जाने वाली राशि के साथ डाकघर में देना होता है। एक मनी आर्डर फार्म से अधिकतम ₹ 5,000 की राशि भेजी जा सकती है। मनी आर्डर फार्म में कुछ खाली जगह भी होती है, जहां आप अपना संदेश लिख सकते हैं। भरे हुए फार्म को उस डाकघर में भेजा जाता है, जहां से भुगतान होना है। डाकिया फार्म को अपने साथ ले जाता है, और जिसे राशि देनी होती है उसके हस्ताक्षर लेकर उसे रूपये दे दिए जाते हैं।

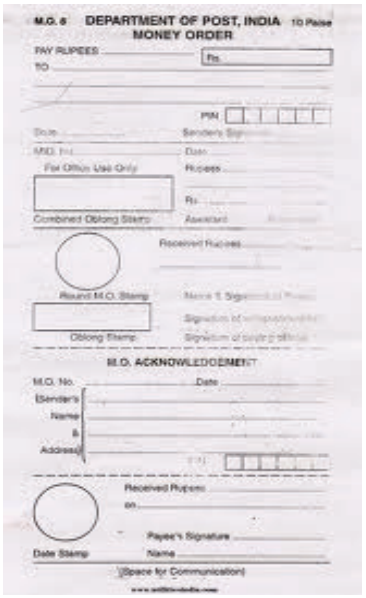

M.O. 6 DEPARTMENT OF POST, INDIA 10 Paise
MONEY ORDER
PAY RUPEES
TO
PIN
For Office Use Only
Combined Oblong Stamp
Round M.O. Stamp
Oblong Stamp
M.O. ACKNOWLEDGEMENT
M.O. No.
Date
Received Rupees
Payee's Signature
Name
Date Stamp

मनी आर्डर फार्म

ii) पोस्टल आर्डर

मनी आर्डर की तरह, हम पोस्टल आर्डर अर्थात् भारतीय पोस्टल आर्डर के जरिए भी धन भेज सकते हैं। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक धन भेजने की सुविधाजनक तरीका है और इसे अधिकतर परीक्षा शुल्क भेजने या नौकरी में आवेदन के साथ शुल्क भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। पोस्टल आर्डर सभी डाकघरों में विभिन्न मूल्यों वर्गो जैसे ₹ 1, ₹ 2, ₹ 5, ₹ 7, ₹ 10, ₹ 20, ₹ 50, और ₹ 100 में उपलब्ध हैं। हम निर्धारित शुल्क देकर पोस्टल

आर्डर खरीद सकते हैं और प्राप्तकर्ता तथा जिस डाकघर से नकद राशि लेनी है, उसका नाम लिखकर प्राप्तकर्ता को भेज देते हैं। पोस्टल आर्डर पाने वाला उसे भुगतान के लिए पेश कर देता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आर्डर सही व्यक्ति को ही मिले हम पोस्टल आर्डर को ठीक उसी प्रकार ऊपर बाई ओर के कोने पर दो समानान्तर रेखाएं खींचकर रेखांकित कर सकते हैं, जिस प्रकार बैंक ड्राफ्ट या चैक को रेखांकित किया जाता है। इससे डाकघर या बैंक में प्रेषक के खाते के माध्यम से ही रूपए प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा अधिकतर आधिकारिक उद्देश्य से किया जाता है।

पोस्टल आर्डर

8.6 बैंकिंग सेवाएं

आप जानते हैं कि बैंक धन का लेन-देन करते हैं। बैंक जनता से जमा राशि लेते हैं और जिन लोगों को धन की जरूरत होती है, उन्हें ऋण देते हैं। इसके अलावा बैंक ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित रखने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक धन भेजने, व्यापारिक सूचनाएं देने आदि जैसे काम करके अपने ग्राहकों की मदद करते हैं। डाकघर कुछ अन्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं जैसे जनता से धन जमा करना, जमा रूपयों को निकालना आदि। अत: हम कह सकते हैं कि ये सभी डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाएं हैं। इसके अंतर्गत डाकघर बचत को बढ़ावा देने और लोगों को बचत करने के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न योजनाएँ चलाता है। आइए, डाकघरों की कुछ महत्वपूर्ण बचत योजनाओं के बारे में जानें।

i) **डाकघर बचत बैंक खात :** इसमें हम डाकघर में अपनी बचत राशि जमा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे निकाल सकते हैं। खाता खोलने के लिए ₹ 50 की न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है और हम अपने खाते में अधिकतम ₹ 1 लाख तक जमा कर सकते हैं। यह खाता संयुक्त रूप से भी चलाया जा सकता है और उस स्थिति में जमाराशि ₹ 2 लाख तक हो सकती है। निकासी पर्ची या चैक से खाते से धन निकाला जा सकता है। डाकघर हमारी बचत पर हमें ब्याज देता है, जो आयकर से पूरी तरह मुक्त होता है।

ii) **डाकघर आवर्ती जमा योजना :** आवर्ती जमा खाता न्यूनतम ₹ 10 से खोला जा सकता है तथा ₹ 5 के गुणांक से जमा करने की अधिकतम कोई सीमा नहीं होती है, खोला जा सकता है। जमा प्रत्येक माह, 5 वर्ष के लिये करना होता है। एक वर्ष के पश्चात कुल जमा राशि से 50 प्रतिशत धन, केवल एक बार ही 5 वर्षों में निकाला जा सकता है। एक व्यक्ति के नाम एक से अधिक आवर्ती जमा खाता खोलने की कोई पाबन्दी नहीं है। परिपक्वता पर ₹ 10, ₹ 728.90 हो जाते है। यह खाता एक-एक वर्ष बढ़ाकर के अगले 5 वर्षों तक चालू रखा जा सकता है।

iii) **डाकघर सावधि जमा खाता :** ₹ 200 की न्यूनतम राशि से कोई भी व्यक्ति यह खाता खोल सकता है। इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। जमाकर्ता एक ही बार में पूरी राशि जमा करता है और यह राशि उसे एक निश्चित अवधि जैसे 1, 2, 3, 5 साल के बाद मिलती है। इस खाते पर तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर वर्ष में एक बार मिलता है। यह खाता न्यास द्वारा भी खोला जा सकता है। जमाराशि और ब्याज की राशि कर से मुक्त होती है।

iv) **डाकघर मासिक आय योजना :** इस योजना के तहत एक निश्चित रकम 6 वर्ष के लिए जमा की जाती है और जमाकर्ता को हर महीने ब्याज मिलता है और इस योजना के अंतर्गत ₹ 1,500, अधिकतम राशि ₹ 4.5 लाख तथा संयुक्त खाते में ₹ 9 लाख जमा किए जा सकते हैं। ब्याज के अलावा जमा राशि पर 5 प्रतिशत का बोनस भी मिलता है, जो भुगतान तिथि पर मिलता है। ब्याज और बोनस दोनों ही आयकर से मुक्त हैं। यह खाता सेवानिवृत्त कर्मचारियों या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त है, जो पेंशन या वेतन की तरह नियमित आय पाना चाहता है।

v) **6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (8वां निर्गम) योजना :** राष्ट्रीय बचत पत्र (i) किसी भी डाकघर से (ii) किसी वयस्क द्वारा उसके अपने लिए या किसी अवयस्क के लिए या किसी अवयस्क द्वारा (iii) दो वयस्कों द्वारा संयुक्त रूप से (iv) न्यास द्वारा खरीदे जा सकते हैं। न्यूनतम जमाराशि ₹ 100 है जबकि इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। ये पत्र ₹ 100, ₹ 200, ₹ 500, ₹ 1000, ₹ 5000 और ₹ 10,000 के मूल्य वर्ग में मिलते हैं। जमा राशि पर छमाही चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 6 वर्ष बाद ये पत्र डाकघर से भुनाए जा सकते हैं। ब्याज की आय को पुन: निवेश माना जाता है और इन पर आयकर में छूट भी मिलती है। यह बचत योजना आयकर देने वाले लोगों में बहुत लोकप्रिय है।

vi) **पन्द्रह वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि खाता :** व्यक्ति अपने नाम से या अपने अवयस्क बच्चों के नाम पर यह खाता खोल सकता है। इस खाते में हर वर्ष कम से कम एक बार रूपए जमा कराने होते हैं। एक खातेदार एक वर्ष में अधिकतम ₹ 70,000 जमा कर सकता है, जो एकमुश्त या अधिकतम 12 किस्तों में जमा कराए जा सकते हैं। इसमें हर वर्ष कम से कम ₹ 500 जमा कराने होते हैं। हर जमा राशि ₹ 100 के गुणक में होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि आप ₹ 1250 या ₹ 3785 जैसी राशि जमा नहीं करा सकते, बल्कि जमाराशि ₹ 1200 या ₹ 3700 होनी चाहिए। 3 वर्ष बाद ऋण सुविधा भी उपलब्ध है। जबकि खाते से रूपए केवल 7 वर्ष के बाद ही निकाले जा सकते हैं। जमाराशि पर आयकर में छूट मिलती है। ब्याज राशि आयकर से पूरी तरह मुक्त है।

vii) **किसान विकास पत्र :** इस योजना में एक निश्चित राशि अवधि के भीतर दोगुनी हो जाती है। किसान विकास पत्र में धन (i) किसी वयस्क द्वारा अपने लिए या किसी अवयस्क के लिए (ii) दो वयस्कों द्वारा संयुक्त रूप से (iii) किसी न्यास द्वारा जमा किए जा सकते हैं। ये पत्र ₹ 100, ₹ 500, ₹ 1,000, ₹ 5,000, ₹ 10,000 के

मूल्य वर्गों में सभी डाकघरों में उपलब्ध होते हैं। जबकि ₹ 50,000 के किसान विकास पत्र केवल प्रधान डाकघर (GPO) में ही मिलते हैं। निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। परिपक्तवा तिथि से पहले भी रूपए निकाले जा सकते हैं, परन्तु एक न्यूनतम अवधि, जिसे लॉक इन पीरियड कहते हैं से पहले रूपए नहीं निकाले जा सकत हैं।

viii) **वरिष्ठ नागरिक बचत योजना :** इस योजना में कोई भी वरिष्ठ नागरिक ₹ 1,000 के गुणकों में अधिकतम ₹ 15,00,000 केवल एक बार में जमा कर सकता है। परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। यह व्यक्तिगत रूप से अथवा जीवन साथी के साथ संयुक्त रूप से प्रचालित किया जा सकता है। इसके लिए 60 वर्ष अथवा अधिक आयु होनी चाहिए। इसमें प्रथम वर्ष में 31 मार्च, 30 जून तथा 31 दिसम्बर को ब्याज देय होता है एवं बाद के वर्षो में 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर तथा 31 दिसम्बर को ब्याज देय होता है।

पाठगत प्रश्न 8.2

उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

i. डाकघर सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में एक वर्ष में अधिकतम _____ रूपए जमा किए जा सकते हैं।

ii. एक मनी आर्डर फार्म से हम अधिकतम _____ रूपए भेज सकते हैं।

iii. सही व्यक्ति को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हम पोस्टल आर्डर को _____ कर सकते हैं।

iv. _____ वर्ष पूरे होने के बाद भविष्य निधि खातेदार को ऋण सुविधा उपलब्ध होती है।

v. राष्ट्रीय बचत पत्र को _____ वर्षों के बाद भुनाया जा सकता है।

8.7 बीमा सेवाएं

मेल और धन भेजने की सेवाओं के अलावा डाकघर व्यक्तियों को जीवन बीमा सुविधा भी उपलब्ध कराता है। क्या आप जानते हैं कि बीमा क्या होता है? बीमा दो पक्षों के बीच अनुबन्ध होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को कोई हानि या क्षति होने की स्थिति में उसे एक निश्चित राशि देने का वचन देता है। जो पक्ष राशि देने का वचन देता है, उसे बीमाकर्ता और दूसरे पक्ष को बीमाकृत कहते हैं। अनुबंध के अनुसार बीमाकृत पक्ष एक मुश्त या किस्तों में एक निश्चित रकम (प्रीमियम) एक निश्चित अवधि के लिए बीमाकर्ता को देता है। यदि उस अवधि में बीमाकृत पक्ष के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो बीमाकर्ता को उसे या उसके परिवारजनों को वह रकम देनी होती है। डाकघर दो योजनाओं के अन्तर्गत जीवन बीमा प्रदान करता है : (i) डाकघर जीवन बीमा और (ii) ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा।

आइए इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लें।

i) डाकघर जीवन बीमा (PLI)

पोस्टल जीवन बीमा योजना शुरू में डाकघर कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई गई थी। गत वर्षों में इसके अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संगठनों के कर्मचारी भी लाए गए हैं। डाकघर इन संगठनों के उन कर्मचारियों, जिनकी आयु 50 वर्ष से कम है, का निश्चित अवधि के लिए निश्चित प्रीमियम के भुगतान पर जीवन बीमा करते हैं। डाकघर बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु या निश्चित अवधि के समाप्त हो जाने पर निश्चित रकम देने का वायदा करते हैं।

ii) ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा (RPLI)

डाकघर जीवन बीमा की तरह डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के कमजोर वर्गों को भी जीवन बीमा के तहत लाते हैं। इसे ग्रामीण जीवन बीमा कहते हैं। इसके तहत बीमाकृत व्यक्ति बीमे के लिए बहुत ही कम प्रीमियम देता है।

8.8 अन्य डाक सेवाएं

अभी तक आपने मेल, धन, भेजने, बैंकिंग, बीमा आदि अनेक सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इन सभी के अलावा डाकघर कुछ अन्य निम्न सुविधाएं भी देते हैं।

i) **टिकटों की बिक्री :** डाक टिकटों के अलावा डाकघरों में अन्य टिकट जैसे हस्तांतरण टिकट, रसीदी आदि भी बेचे जाते हैं। यदि लेनदेन की राशि ₹ 500 से अधिक हो तो राशि पाने वाले से प्राप्त रसीद पर टिकट का इस्तेमाल किया जाता है। शेयर हस्तांतरण टिकटों का इस्तेमाल शेयर या अन्य प्रतिभूति हस्तांतरण करने में होता है। इसी प्रकार भर्ती टिकटों का इस्तेमाल प्रत्याशियों की भर्ती के लिए विभिन्न परीक्षाओं में शुल्क देने के लिए किया जाता है।

ii) **फार्मों की बिक्री :** डाकघरों में कई प्रकार के फार्म जैसे पासपोर्ट फार्म, संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं के फार्म भी बिकते हैं।

iii) **बिलों का भुगतान :** डाकघरों में उपभोक्ताओं से टेलीफोन, बिजली, पानी आदि के बिलों का भुगतान भी लिए जाते हैं।

iv) **पेंशन भुगतान :** पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए भारत सरकार के डाकघरों के माध्यम से पेंशन लेने की आवश्यक प्रबंध किए हैं। सेना, रेलवे, कोयला खानों और दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगी लोग नजदीक के डाकघर से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। डाकघर वृद्ध नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान की सुविधा भी प्रदान करते हैं। समाज कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारें यह पेंशन देती है।

v) **डाकघर दुकान :** डाकघरों में छोटी-छोटी दुकानों में डाक लेखन सामग्री, बधाई पत्र और छोटे-छोटे उपहार भी बेचे जाते हैं।

vi) **टिकट संग्रह-डाक :** डाक विभाग विशेष और स्मारक टिकट और विशेष लिफाफे जारी करता है, जिसमें देश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाया जाता

है। इनके माध्यम से देश और विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रसिद्ध हस्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया जाता है। टिकट संग्रह की दुनिया में इन टिकटों का बड़ा महत्व है।

vii) **ग्रामीण संचार सेवक योजना :** इस योजना का शुभारंभ हर घर में टेलीफोन की सुविधा देने के उद्देश्य से किया गया है। यह डाक विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) का संयुक्त उद्यम है। इसके तहत घर-घर डाक ले जाने वाले डाकिए के पास मोबाइल फोन होगा। डाकिए को निश्चित शुल्क देकर लोग इस फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुविधा केवल ग्रामीण इलाकों में ही उपलब्ध है।

पाठगत प्रश्न 8.3

निम्नलिखित में सही और गलत कथन छांटिए :

i. 52 वर्ष का कोई सरकारी कर्मचारी डाकघर में जीवन बीमा करा सकता है।
ii. ₹ 600 के लेनदेन में रसीद पर रसीदी टिकट लगाने की जरूरत नहीं होती।
iii. डाक दुकान में सिले सिलाए वस्त्र मिलते हैं।
iv. डाकघर हमारे समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए ग्रामीण जीवन बीमा प्रदान करता है।
v. ग्रामीण संचार सेवा योजना केवल ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध है।

8.9 विशिष्ट डाक-पत्र सेवाएं

जनता की सुविधा के लिए डाक विभाग अतिरिक्त सुविधाओं वाली विभिन्न डाक-पत्र सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें डाक जल्दी भेजना, डाक के सही वितरण को सुनिश्चित करना, पारगमन के दौरान डाक को हुए नुकसान या गुम होने की स्थिति में प्रेषक को मुआवजा देना आदि शामिल होता है। आप इन सभी सुविधाओं का लाभ केवल कुछ अतिरिकत डाक-शुल्क देकर उठा सकते हैं। आइए, इन सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।

i) डाक प्रमाण-पत्र

जब साधारण पत्र डाक में डाले जाते हैं, तो डाकघर उसकी कोई रसीद नहीं देता, क्योंकि साधरणतया हम उन्हें डाकघर की पत्र पेटी में डालते हैं। परंतु यदि कोई प्रेषक इस बात का प्रमाण चाहता है कि उसने वास्तव में पत्र डाक में डाला है, तो निश्चित शुल्क देकर डाकघर से इस बात का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है। इसे डाक प्रमाण-पत्र कहते हैं। ऐसा प्रमाण-पत्र लेने के लिए आपको प्रेषक और प्राप्तकर्ता का नाम और पूरा पता एक सादे कागज पर लिखकर उस पर निश्चित डाक टिकट लगानी होती है। यह कागज पत्रों के साथ डाकघर में दे दिया जाता है। डाकघर उस कागज पर अपनी मोहर लगा कर उसे आपको वापस कर देता है। अब वह कागज पत्रों को डाक में डाले जाने के प्रमाण का कार्य करता है। लेकिन पत्रों के ऊपर यूपीसी लिखना न भूलें। यूपीसी का अर्थ है अंडर पोस्टल सार्टिफिकेट। किसी

विवाद की स्थिति में यह कागज सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

ii) रजिस्टर्ड डाक

कभी-कभी हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी डाक निश्चित रूप से प्राप्तकर्ता को मिल जाए अन्यथा वह हमारे पास वापिस आ जाए। ऐसी स्थिति में डाकघर रजिस्टर्ड डाक की सुविधा देता है, जिससे हम अपने पत्र और पार्सल भेज सकते हैं। ऐसी सामग्री पंजीकरण शुल्क के तौर पर अतिरिक्त डाक टिकट लगाकर डाकघर में दे दी जाती है। डाक सामग्री प्राप्त करके डाकघर तत्काल प्रेषक को एक रसीद दे देता है, जो डाक भेजे जाने के प्रमाण का कार्य करती है। याद रखें कि यदि आपने ऐसे पत्रों पर अपना पूरा पता नहीं लिखा होगा तो डाकघर उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। रजिस्टर्ड डाक को साधारण डाक से अलग करने के लिए उसके ऊपर रजिस्टर्ड डाक लिखा जाता है।

क्या आप इसकी पुष्टि करना चाहते हैं कि आपका पत्र पाने वाले तक पहुँच गया है? इसके लिए डाकघर एक और सुविधा प्रदान करता है। सामान्यतया डाक के कुछ दस्तावेजों पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लेने के बाद रजिस्टर्ड डाक उसे दे दी जाती है। लेकिन जब तक प्रेषक विशेष रूप से इसकी मांग नहीं करता तब तकि उसे नहीं बताया जाता कि प्राप्तकर्ता को डाक मिली या नहीं। यदि प्रेषक इस बात की सूचना चाहता है, तो रजिस्टर्ड डाक के साथ रसीदी कार्ड डाक से प्रेषक को लौटा दिया जाता है। यह कार्ड सभी डाकघरों में निश्चित भुगतान पर मिलते हैं। रजिस्टर्ड डाक के प्रेषक को एक कार्ड खरीदकर उस पर अपना पूरा पता लिखकर उसे लिफाफे के साथ संलग्न करना होता है। लिफाफे पर रसीदी कार्ड के साथ रजिस्टर्ड ए.डी. लिखना होता है।

iii) बीमाकृत डाक

पारगमन के दौरान डाक को किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, जिससे प्रेषक को हानि उठानी पड़ सकती है। क्या पारगमन के दौरान डाक के किसी भी प्रकार के नुकसान या क्षति के लिए डाक विभाग को दोषी ठहराया जा सकता है? साधारण पत्रों, रजिस्टर्ड डाक और पार्सल के संदर्भ में किसी प्रकार के हानि के होने या खो जाने के लिए डाकघर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हां, ऐसा प्रावधान है कि प्रेषक पत्र या पार्सल का बीमा करा सकता है, जिससे किसी नुकसान की स्थिति में डाक घर के क्षतिपूर्ति करनी होगी। अत: बीमाकृत डाक ऐसी डाक-पत्र सुविधाा है, जिससे मूल्यवान वस्तुओं को निश्चित राशि में बीमा करा कर डाक से भेजा जा सकता है। बीमे की राशि के अनुसार प्रीमियम डाकघर में जमा कराया जाता है।

यहाँ डाकघर बीमाकर्ता का कार्य करता है और जितने मूल्य का बीमा है, उतने के लिए उत्तरदायी होता है। बीमाकृत डाक से केवल रजिस्टर्ड मेल ही भेजी जा सकती है। याद रहे कि बीमाकृत डाक के लिए यदि आपका पत्र या पार्सल डाक विभाग के निर्देशों के अनुरूप पैक और मोहर बंद नहीं होगा तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा।

iv) स्पीड पोस्ट

स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 में प्रारम्भ हुई थी। कभी-कभी तत्कालिकता अथवा देरी से बचने के लिये हम चाहते हैं कि हमारी डाक प्राप्तकर्ता तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाये। ऐसे में डाक विभाग निश्चित समय के अंदर डाक, स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत पहुचाने की गारंटी देता है। इस सेवा के अंतर्गत पत्र, दस्तावेज, पार्सल ज्यादा तेजी से निश्चित समय में पहुंचाए जाते हैं। यह सेवा कुछ खास डाकघरों में उपलब्ध होती है। इसके लिए साधारण डाक से अधिक शुल्क लिया जाता है। जो दूरी के हिसाब से तय किया जाता है। यह सेवा कुछ विशिष्ट डाकघरों में 24 घंटे उपलब्ध रहती है। डाकघर स्पीड पोस्ट की डाक को भेजने वाले के घर/दरवाजे से भी उठाते हैं, परन्तु यह नियमित तथा अधिक मात्रा में भेजने वाले होने चाहिए।

v) न्यस्त डाक

यदि किसी ऐसे व्यक्ति को पत्र भेजना है, जिसका निश्चित पता आपको मालूम नहीं है तो आप उस क्षेत्र के डाकपाल को भेज सकते हैं, जहां प्राप्तकर्ता रहता है। इन पत्रों को न्यस्त डाक कहते हैं। ऐसे पत्रों को भेजने के लिए पत्रों पर ''न्यस्त डाक या डाकपाल'' लिखा होना चाहिए। ऐसा लिखा होने पर उस क्षेत्र के डाकघर में वह पत्र रख लिया जाता है और प्राप्तकर्ता डाकपाल से मिलकर पत्र ग्रहण कर सकता है। डाकघर में ऐसे पत्रों को 14 दिन तक रखा जाता है। उसके बाद पत्र प्रेषक को या पुनः प्रेषण केन्द्र को भेज दिया जाता है। यह सुविधा पर्यटकों और उन विक्रेताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिनका एक विशेष पता नहीं होता। यह सुविधा ऐसे व्यक्तियों के लिए लाभकारी है, जो नित नए स्थान पर स्थायी पते की तलाश में हो।

पाठगत प्रश्न 8.4

कौन सा कथन सही और कौन सा गलत है :

i. स्पीड पोस्ट सेवा सभी डाकघरों में उपलब्ध है।
ii. बीमाकृत डाक से केवल रजिस्टर्ड मेल ही भेजी जा सकती है।
iii. न्यस्त डाक को केवल एक हफ्ते तक ही डाकघर में रखा जाता है।
iv. बीमाकृत डाक के लिए दोनों डाकघरों के बीच की दूरी के अनुसार अतिरिक्त डाक-शुल्क देना होता है।
v. यदि पारगमन के दौरान पत्र खो जाता है तो डाक प्रमाण-पत्र के जरिए प्रेषक को मुआवजा नहीं मिलता।

8.10 डाक पारेषण

डाकघर अपने काउंटरों द्वारा या पत्र पेटिकाओं द्वारा पत्र और पार्सल इकट्ठे करते हैं। लोग पत्र पेटिकाओं में पत्र डालते हैं और डाकघर कार्य समय के दौरान प्रतिदिन एक या दो बार उन्हें एकत्र करते हैं। ये पत्र पेटिका हर डाकघर के बाहर और जनता की सुविधा के लिए कुछ विशेष स्थानों पर लगी रहती है।

टिप्पणी

लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ स्थानों पर लाल, हरे, नीले और पीले जैसे अलग-अलग रंगों की पत्र-पेटिकाएं लगी होती है। ऐसा क्यों है? वास्तव में विभिन्न रंगों की पत्र-पेटिकाएं लगाने का उद्देश्य है कि अलग-अलग गंतव्य स्थानों की डाक को निकालने के समय ही अलग-अलग रखा जा सके। इससे पत्रों की जल्दी छँटाई और वितरण में सहायता मिलती है। आइए देखें कि किस पेटिका में कौन से पत्र डाले जा सकते हैं।

- लाल पेटिका में वे पत्र डाले जाते हैं, जो स्थानीय नहीं है।
- हरी पेटिका में स्थानीय डाक डाली जाती है।
- नीले डिब्बे में महानगरों में जाने वाली डाक डाली जाती है।
- पीले डिब्बे में सभी राजधानियों की डाक डाली जाती है।

जब आप अपना पत्र डाकघर में देते हैं या उसे पत्र-पेटिका में डालते हैं तो क्या होता है?

- डाकघर इन पत्रों को इकट्ठा करते हैं।
- हर पत्र पर लगे डाक टिकट का मूल्य सत्यापित करके उस पर मुहर लगाई जाती है।
- गंतव्य स्थानों के अनुसार पत्रों की छंटाई की जाती है।
- गंतव्य स्थानों के अनुसार मेल को अलग-अलग पैकेटों या थैलों में डाला जाता है।
- इन पैकेटों को गंतव्य स्थान के विभिन्न डाकघरों में भेजा जाता है।
- गंतव्य स्थान के डाकघर उन्हें खोलकर पत्रों पर अपनी मुहर लगाता है।
- फिर प्राप्तकर्ताओं के क्षेत्र के अनुसार डाक की छँटाई होती है।
- अंत में डाकिए व्यक्तिगत रूप से पत्र लोगों तक पहुंचाते हैं।

आप शायद सोच रहे होंगे कि डाक थैले और पैकेट एक डाकघर से दूसरे डाक घर तक कैसे पहुंचाए जाते हैं। आइए, इस पर चर्चा करें।

कम दूरी के मेल बैग मोटर वाहनों, रिक्शा साइकिल जैसे सड़क परिवहन के जरिए ले जाए जाते हैं, लेकिन अधिक दूर तक मेल पहुंचाने के लिए रेलवे सबसे सुविधाजनक साधन है। हमारे देश में रेल डाक सेवा (RMS) रेलवे के जरिए डाक प्राप्त करने और भेजने का कार्य करती है। आपने देश भर के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर आरएमएस के कार्यालय देखें होंगे। रेलवे, मोटर वाहन, साइकिल आदि के द्वारा जो मेल भेजी या प्राप्त की जाती है, उसे भू-तल मेल कहते हैं। सड़क और रेलवे के माध्यम से डाक भेजने के अलावा भारतीय डाक विभाग ने कई स्थानों पर जहां विमान सेवा उपलब्ध है, विमान द्वारा भी डाक भेजने के प्रबंध किए हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक विमानों द्वारा भेजी जाती है, इसलिए ऐसे डाक-पत्र को एयर मेल कहते हैं।

8.11 डाक सेवा के लिए डाक टिकट

आप सोच रहे होंगे कि पोस्टकार्ड या अन्तर्देशीय पत्र अलग-अलग गन्तव्य स्थान होने पर भी एक समान शुल्क पर देश भर में कैसे भेजे जाते हैं? आपने देखा होगा कि हमारे देश में स्पीड पोस्ट को छोड़कर सभी प्रकार की अन्तर्देशीय डाक के लिए एक समान दर है। सामान्यतया डाक शुल्क मेल के वजन के अनुसार घटता बढ़ता है, लेकिन स्पीड पोस्ट या

अंतर्राष्ट्रीय मेल के मामले में डाक शुल्क डाकपत्र के वजन और दूरी के अनुसार लिया जाता है।

डाक पत्र सेवा के लिए डाकघरों का शुल्क का भुगतान डाक टिकटों के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए हमें पत्रों को पेटी में डालने या डाकघर के पटल पर देने से पहले डाकघर से टिकट खरीद कर उन्हें अपने पत्रों पर चिपकाना होता है। लेकिन डाकघरों से प्राप्त सुविधा का भुगतान करने का यही एकमात्र तरीका नहीं है, आइए यह पता लगाएं कि डाकघर के माध्यम से अपनी डाक भेजते समय और किन तरीकों से डाक शुल्क दिया जा सकता है।

i) **डाक टिकट :** लिफाफे या पार्सल भेजते समय हम डाकघर से टिकट खरीदते हैं और मेल को पत्र पेटिका में डालने या डाकघर के काउन्टर में देने से पहले अपनी मेल पर चिपका देते हैं। लेकिन पोस्टकार्ड अंतर्देशीय पत्र और लिफाफों पर कोई टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनके मूल्य में डाक शुल्क शामिल होता है। आपने इन पत्रों पर मुद्रित डाक टिकट अवश्य देखें होंगे। याद रखें कि इन पत्रों को खरीदते समय आप जो शुल्क दे रहे हैं वह न्यूनतम उचित वजन के लिए होता है। यदि आपके लिफाफे या पार्सल का वजन निर्धारित सीमा से अधिक है तो आपको अतिरिक्त टिकट लगाने होंगे।

ii) **फ्रैंक्ड डाक टिकट :** बड़े कार्यालय में, जहां हर रोज सैकड़ों पत्रों पर टिकट लगाने होते हैं, वहां फ्रैंकिंग मशीन की मदद से टिकट लगाने की सुविधा दी जाती है। इस मशीन से अलग-अलग मूल्यवर्ग के टिकट, जिन्हें फ्रैंक्ड पोस्टेज कहते हैं, लगाए जा सकते हैं। जिन पत्रों पर टिकट लगाना होता है उन्हें मशीन में डाला जाता है और मशीन के विभिन्न बटनों को दबाकर आवश्यकतानुसार मूल्य के टिकट की छाप लगाई जाती है। फ्रैंकिंग मशीन द्वारा लगने वाले टिकट लाल रंग के होते हैं। इन मशीनों को डाकघर से लाइसेंस लेकर लिया जा सकता है। डाकघर लाइसेंस लेने वाले से निर्धारित शुल्क लेकर उसे मशीन दे देता है। जब निर्धारित शुल्क का मूल्य समाप्त हो जाता है तो मशीन टिकट छापना बंद कर देती है। फिर भुगतान करने पर मशीन को दोबारा चालू किया जा सकता है।

iii) **टिकट लगाए बिना भुगतान :** आपने देखा होगा कि कुछ तरह की मेल पर कोई टिकट नहीं लगा होता, फिर वह आप तक कैसे पहुंचती है? वास्तव में कुछ विशेष मेल ऐसी होती है, जिनमें पत्र भेजने से बहुत पहले डाक-शुल्क प्रेषक द्वारा या पत्र प्राप्त करने के बाद पत्र पाने वाले द्वारा अदा किया जाता है। उदाहरण के लिए, अखबार और पत्र पत्रिकाओं में प्रेषक डाक भेजने से पहले शुल्क देता है और व्यापारिक जवाबी कार्ड के लिए प्राप्तकर्ता डाक मिलने के बाद शुल्क अदा करता है। डाकघर ब्रेल लिपि का साहित्य नि:शुल्क भेजते हैं।

iv) **कम्प्यूटरीकृत पर्ची :** आजकल कुछ डाकघरों में कंप्यूटरीकृत पर्चियां डाक पर चिपकाई जाती हैं। इनमें अलग से टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। पर्ची

पर डाक शुल्क तिथि और समय लिखा होता है। यह सुविधा रजिस्टर्ड पोस्ट तथा स्पीड पोस्ट के लिए उपलब्ध है, साधारण पत्रों के लिए नहीं।

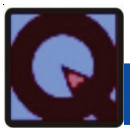

पाठगत प्रश्न 8.5

कॉलम क और ख का मिलान कीजिए।

	कॉलम क		कॉलम ख
i.	हरी पत्र पेटिका	क)	पुन: प्रेषण केन्द्र
ii.	फ्रैंकिंग मशीन	ख)	प्रेषक द्वारा डाक शुल्क नहीं दिया जाता
iii.	अपर्याप्त डाक टिकट	ग)	प्राप्तकर्ता द्वारा दिया जाने वाला शुल्क दो गुना देना होगा
iv.	व्यावसायिक जवाबी कार्ड	घ	स्थानीय मेल
v.	प्राप्तकर्ता का गलत पता	ङ)	शेल्क का मुद्रण

8.12 डाकघर व्यापारिक लेनदेन को कैसे बढ़ावा देते हैं

जैसा कि पहले बताया जा चुका है विभिन्न साधनों से मेल भेजने के अलावा डाकघर व्यापारिक कंपनियों को कुछ विशेष सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ हैं :

- मूल्य देय डाक (V.P.P) के जरिए माल बेचने में मदद करना;
- बिजनेस रिप्लाई डाक से डाक शुल्क लिए बिना ग्राहकों के पत्र ले जाना;
- मीडिया पोस्ट के जरिए उत्पादों के विज्ञापन में मदद देना;
- एक्सप्रेस पोस्ट से विश्वसनीय और निश्चित अवधि में पार्सल सेवा देना;
- बिजनेस पोस्ट सेवा के जरिए ज्यादा डाक भेजने वालों को प्री मेलिंग सुविधाएं देना;
- कारपोरेट मनीआर्डर के जरिए बड़ी राशि भेजना;
- पोस्टबैग और पोस्ट बॉक्स सुविधा के माध्यम से डाक इकठ्ठी करने के विशेष प्रबंध करना।

आइए इन सभी सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।

i) **मूल्य देय डाक (वीपीपी) :** कभी-कभी हमें कुछ ऐसा सामान खरीदना होता है, जो किसी स्थानीय दुकान में नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में हम विक्रेता को माल भेजने का अनुरोध कर सकते हैं। यहां डाकघर विक्रेता को अपनी सेवा इस्तेमाल करने का विकल्प देते हैं। इसके अंतर्गत डाकघर विक्रेता से पैक माल लेते हैं और ग्राहकों तक ले जाते हैं। ग्राहक से माल का मूल्य और वीपीपी का शुल्क मिलाकर पूरी राशि लेने के बाद सामान उसे दे दिया जाता है। फिर डाकघर विक्रेता को वह राशि भेज देता है।

ii) **बिजनेस रिप्लाई पोस्ट :** हम जानते हैं कि हर व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण आर्थिक उद्देश्य होता है- ग्राहक बनाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापारी हमेशा अपने ग्राहकों से तुरंत जवाब और प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करते है। इस

संदर्भ में डाकघर रिप्लाई पोस्ट के माध्यम से ग्राहकों को अपने जवाब भेजने की सुविधा प्रदान करता है। डाकघर उस शुल्क को बाद में व्यापारी से वसूल कर लेता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए व्यापारी निश्चित शुल्क देकर डाकघर से लाइसेंस ले सकते हैं। कार्ड अथवा लिफाफे पर लाइसैंस नम्बर स्पष्ट रूप से छपा होना चाहिए। साथ ही 'बिजनेस रिप्लाई कार्ड'। 'प्राप्तकर्ता को कोई डाक शुल्क नहीं देना होगा'। भारत में डाले जाने पर डाक टिकट लगाना आवश्यक नहीं। आदि वाक्यांश लिखें होने चाहिए।

iii) **मीडिया डाक :** इस सुविधा के अंतर्गत डाक विभाग व्यापारिक और सरकारी संगठनों को पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र, ऐरोग्राम और अन्य डाक लेखन सामग्री पर अपने विज्ञापन छापकर ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर देता है। डाक स्टेशनरी पर जन जागरण से सम्बन्धित संदेश छापे जा सकते हैं।

iv) **एक्सप्रेस डाक :** डाकघर एक्सप्रेस पोस्ट सुविधा की मदद से व्यावसायिक ग्राहकों को पार्सल पहुंचाने की विश्वसनीय, तेज और सस्ती सेवा प्रदान करता है। इसमें 35 किलो तक के किसी भी पार्सल को निश्चत समय पर पहुंचाने की सुविधा है।

v) **व्यावसायिक डाक :** डाकघर अपने व्यापारी ग्राहकों की पूर्व मेल गतिविधियों की जिम्मेदारी लेकर उन्हें एक और सुविधा प्रदान करता है। इन गतिविधियों में प्रेषक से माल लेकर उन्हें पैकेटों में डालकर पार्सल चिपकाकर और उस पर पता लिखना शामिल है। इसमें फ्रैंकिंग भी की जाती है।

vi) **कारपोरेट मनी आर्डर :** व्यक्तियों की तरह व्यापारिक संगठन भी मनी आर्डर के जरिए धन हस्तांतरित कर सकते हैं। उनके लिए डाकघर की कारपोरेट मनीआर्डर सेवा उपलब्ध है। इससे व्यापारिक संगठन देश के किसी भी भाग में ₹ 1 करोड़ तक की राशि हस्तांतरित कर सकते हैं। यह सुविधा उपग्रह से जुड़े सभी डाकघरों में उपलब्ध है।

vii) **पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग :** आप जानते हैं कि डाकिया अलग-अलग प्रकार की डाक हमारे घर तक पहुंचाता है। इसके अलावा, डाकघर साधारण डाक लेने वालों के लिए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग सुविधा भी देता है। इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्तकर्ता को किराया देने पर एक विशेष संख्या, बॉक्स या थैला निर्धारित कर दिया जाता है। उस संख्या पर आने वाली सारी मेल को डाकघर अपने पास रखता है। फिर जिसके नाम पर डाक होती है वह अपनी सुविधानुसार डाक लेने के लिए आवश्यक इंतजाम करता है। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग में यह अंतर है कि पोस्ट बॉक्स में डाक लेने वाले व्यक्ति को डाकघर जाकर अपना बाक्स खोलना होता है, लेकिन पोस्ट बैग अपने साथ ले जाकर कार्यालय में उसे खोल सकता है। कोई भी कम्पनी या व्यक्ति ऐसा बॉक्स किराए पर ले सकता है। यह सुविधा निम्नलिखित वर्गों के लिए उपलब्ध है :

- व्यापारिक कंपनियां, जो अपनी डाक जल्दी लेना चाहती है;
- बड़ी मात्रा में मेल प्राप्त करने वाले;

- डाक द्वारा आदेश व्यापार;
- वे लोग, जिनका स्थायी पता नहीं होता;
- वे लोग, जो अपना नाम व पता गुप्त रखना चाहते हैं।

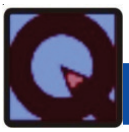

पाठगत प्रश्न 8.6

उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए :

i. डाकघर व्यापारकि संगठनों को _____ पोस्ट के जरिए मेलिंग सुविधा देता है।

ii. _____ डाक सेवा के जरिए उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन डाकघर के माध्यम से किए जाते हैं।

iii. व्यावसायिक _____ पोस्ट में प्रेषक को कोई टिकट नहीं लगाना पड़ता।

iv. कारपोरेट मनी आर्डर में ₹ _____ तक की राशि भेजी जा सकती है।

v. _____ के जरिए प्रेषक या जनता को पहचान बताए बिना डाक प्राप्त की जा सकती है।

8.13 डाक सेवाओं का महत्व

डाक सेवाओं का आम जनता के लिए विशेषकर व्यापार के लिए बहुत महत्व है। निम्नलिखित बातों से डाक सेवाओं का महत्व उजागर होता है।

i) **संचार का सस्ता साधन :** डाक मेल सेवाएं संचार के किसी भी अन्य साधन से कम दर पर उपलब्ध हैं। अखबारों और पत्रिकाओं की प्रसार संख्या काफी अधिक होती है और वे डाक सेवाओं के कारण दूर-दराज के गांवों तक पहुंच पाते हैं। ऐसा मुख्यतया इसलिए होता है क्योंकि अखबार और पत्रिकाएं डाक से रियायती दरों पर भेजे जा सकते हैं।

ii) **बचत का प्रोत्साहन :** साधारण आय वाले लोागें को डाकघर द्वारा चलाई जा रही विभिन्न छोटी बचत योजनाओं में धन जमा करके बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त डाकघर के माध्यम से राष्ट्रीय बचत पत्र और सार्वजनिक भविष्य निधि आदि में बचत करने से आयकर में छूट मिल जाती है। डाकघरों में बचत जमा करने वालों को ईनाम भी दिया जाता है।

iii) **कमदर पर धन को सुरक्षित रूप से भेजना :** धन भेजने का सबसे सस्ता और आम साधन है मनी आर्डर, जो डाकघर के माध्यम से होता है। यदि धन जल्दी भेजना हो तो तार मनीआर्डर के जरिए भेजा जा सकता है। धान हस्तांतरित करने का एक अन्य साधन पोस्टल आर्डर भी है। डाकघर दूर-दराज के स्थानों पर भी स्थित हैं। इसीलिए मुद्रा हस्तांतरण सुविधाजनक हो जाता है।

iv) **व्यापार को बढ़ावा :** डाक सेवाओं की उपलब्धता से आंतरिक और विदेशी व्यापार की वृद्धि और विस्तार में मदद मिलती है। पत्र-व्यवहार से व्यापार संबंधी पूछताछ की जाती है और व्यापारिक सौदे किए जाते हैं। डाक के माध्यम से ही आर्डर दिए

जाते हैं, माल भेजने की सूचना दी जाती है। भुगतान के लिए पत्र लिखे जाते हैं। चैक, ड्राफ्ट और बहुमूल्य दस्तावेज भी डाक से ही भेजे जाते हैं। बहुमूल्य दस्तावेजों का रजिस्टर्ड डाक का बीमा भी कराया जा सकता है। ताकि डाक के पारगमन के दौरान कोई नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो सके। मेल आर्डर व्यापार पूरी तरह से डाक और पार्सल भेजने की सेवा पर निर्भर है।

v) **पत्राचार शिक्षा को बढ़ावा :** मुक्त विद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ और पत्राचार शिक्षा देने वाली अन्य संस्थाएं डाक से ही शिक्षा सामग्री भेजकर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करती है। वे डाकघर के माध्यम से ही सभी विद्यार्थीयों से संपर्क स्थापित करते हैं। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी भी कक्षाओं में बिना गए ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

8.14 निजी कूरियर सेवाएं

कुछ निजी मेल संचालक भी हैं, जो जनता को मेल सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। उन्हें निजी कूरियर कहते हैं। वे पत्र और पार्सल इकट्ठे करते हैं और गन्तव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। ये सेवाएं निजी कूरियर सेवाएं कहलाती है। निजी कूरियर पत्रों, पार्सलों और पैकेटों को इकट्ठा करने और गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने का काम जल्दी करते हैं। यदि पत्र और पार्सल कूरियर के जरिए भेजे जाते हैं तो उन पर कोई डाक टिकट नहीं लगाने पड़ते।

निजी कूरियर सेवाओं का शुल्क आमतौर पर डाकघर शुल्क से ज्यादा होता है। फिर यह शुल्क एक समान नहीं होते। निजी कूरियर बड़े शहरों और नगरों में लोकप्रिय हैं। ओवर नाइट एक्सप्रस, डी.एच.एल., ब्लू डार्ट आदि हमारे देश के कुछ बड़े निजी कूरियर हैं। निजी कूरियर सेवा को निम्नलिखित विशेषताएं हैं :

i यह सम्प्रेषण का त्वरित साधन है।
ii. यह राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय दोनों स्तर की सेवाएं प्रदान करता है।
iii. निजी कूरियर सोना और आभूषण छोड़कर सभी प्रकार की वस्तुएं पहुंचाते हैं।
iv. माल पहुंचाने के लिए रेलवे, सड़क यातायात, हवाई मार्ग का इस्तेमाल करने के अलावा कुछ एजेंसियां संदेश भेजने के लिए फोन, टैलेक्स, फैक्स सुविधाओं का भी प्रयोग करती हैं।
v. यह वस्तुओं को सुरक्षित और समय पर पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी लेती हैं।
vi. यह प्रेषक के ठिकाने से वस्तु लेकर उसे गंतव्य स्थान तक पहुँचाती हैं।

पाठगत प्रश्न 8.7

I. कौन-सा कथन सही है और कौन-सा कथन गलत है :

i. पिन से मेल की छँटाई जल्दी और आसानी से होती है।

ii. डाक विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है।
iii. डाकघर पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम में सहायता नहीं करता।
iv. चैक एवं कीमती प्रलेख लोगों को डाक से भेजे जा सकते हैं।
v. निजी कूरियर पार्सल नहीं ले जाते।

II. बहुविकल्पीय प्रश्न

i. निम्नलिखित में से कौन सी पार्सल सेवा नहीं है :
क) डाक सेवा ख) बैंकिंग सेवा
ग) धन जमा करने संबंधी सेवा घ) लाकर्स सेवा

ii. निम्नलिखित में से कौन सी बीमा डाकघर द्वारा प्रदान की जाती है :
क) एन्डोमैंट पालिसी ख) पूर्ण जीवन के लिए पालिसी
ग) ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा घ) संयुक्त जीवन बीमा

iii. निम्नलिखित में से कौन सी जमा योजना है जो डाकघर द्वारा प्रदान की जाती है :
क) पेन्शन भुगतान ख) बिल भुगतान
ग) मनी आर्डर घ) डाकघर मासिक आय योजना

iv. निम्नलिखित में से कौन से विशेष डाकसेवा नहीं है, जो डाकघरों द्वारा दी जाती है :
क) पंजीकृत डाक ख) डाक टिकटों की बिक्री
ग) ओवर नाइट एक्सप्रैस घ) मूल्य देय डाक

आपने क्या सीखा

- डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को डाक सेवाएं कहते हैं। इनमें पत्र और पार्सल को लाना या ले जाना, धन भेजने की व्यवस्था करना, जमाराशि स्वीकार करना, जीवन बीमा कराना सम्मलित है।
- प्रेषक से पत्र और पार्सल लेकर उन्हें प्राप्तकर्ता तक पहुँचाने को मेल सेवा कहते हैं। डाकघर पोस्टकार्ड, लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र, पार्सल डाक, बुक पोस्ट आदि के माध्यम से मेल सेवा प्रदान करता है। यह डाक प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड डाक, बीमाकृत डाक, स्पीड पोस्ट, न्यस्त डाक, आदि विशेष डाक सेवाएं भी उपलब्ध कराता है।
- डाकघर की धन भेजने की सेवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक धन भेजा जा सकता है। इसकी मनीआर्डर या पोस्टल आर्डर सेवा के माध्यम से लोग दर के स्थानों पर धन भेज सकते हैं।
- डाकघर विभिन्न बचत योजनाओं- डाकघर बचत बैंक खाता, पांच वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा योजना, डाकघर सावधि जमा खाता, डाकघर मासिक आय योजना, भविष्य निधि खाता 8वीं निर्गम योजना, पंद्रह वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि खात, किसान विकास पत्र आदि के जरिए लोगों में बचत की भावना को प्रोत्साहन देता है।

- डाकघर जीवन बीमा और ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा योजनाओं के जरिए लोग अपना जीवन बीमा करा सकते हैं।
- डाकघर वी.पी.पी., बिजनेस रिप्लाई कार्ड, मीडिया पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, एक्सप्रेस मनी आर्डर, पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग आदि योजनाओं के जरिए व्यापारिक लेनदने को बढ़ावा देता है।
- डाक सेवा का महत्व : यह संचार का सस्ता साधन है। इससे बचत को बढ़ावा मिलता है इसके माध्यम से कम शुल्क पर धन भेजा जा सकता है। इससे व्यापार और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा मिलता है।
- निजी कूरियर भी अपने ढंग से देशभर में मेल सेवाएं प्रदान करते हैं। वे पत्रों, पार्सलों आदि को जल्दी इकट्ठा करने और वितरित करने की सेवा प्रदान करते हैं।

पाठांत प्रश्न

1. अपनी अभ्यास पुस्तिका में भारतीय डाक का चिन्ह बनाइए।
2. अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मेल में अंतर बताइए।
3. ग्रामीण संचार सेवा का क्या अर्थ है ?
4. 15 वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि खाते की विशेषतएं बताइए।
5. डाक सेवाओं में पिन क्या उद्देश्य पूरे करता है।
6. वी.पी.पी. तथा बी.आर.पी. के अन्तर बताइए।
7. डाकघरों में किस-किस रंग की पत्र पेटी पाई जाती है। उनका क्या उद्देश्य है।
8. डाकघरों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पोस्टकार्डों का वर्णन कीजिए।
9. मनी आर्डर तथा पोस्टल आर्डर मं अन्तर बताइए।
10. डाकघरों की विभिन्न जीवन बीमा योजनाओं का वर्णन कीजिए।
11. प्राइवेट कोरियर सेवा की व्याख्या करें।
12. डाकघरों द्वारा 'पोस्ट बैग' सुविधा को समझाए।
13. डाकघर की धन भेजने की सेवाओं को बताइए।
14. डाक सेवा से क्या तात्पर्य है? किन्हीं दो सेवाओं को विस्तार से बताइए।
15. डाकघर की किन्हीं चार बचत योजनाओं का विवरण दीजिए।
16. डाक सेवा से व्यापारिक लेन देन में किस प्रकार से सहायता मिलती है ?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

8.1 (i) विदेश (ii) रंग और मूल्य (iii) वजन (iv) कम (v) गोपनीय

8.2 (i) ₹ 70,000 (ii) ₹ 5,000 (iii) क्रास (iv) तीन (v) 6

8.3 (i) गलत (ii) गलत (iii) गलत (iv) सही (v) सही

8.4 (i) गलत (ii) सही (iii) गलत (iv) गलत (v) सही

8.5 (i) घ (ii) ङ (iii) ग (iv) ख (v) क

8.6 (i) व्यापार (ii) मीडिया (iii) उत्तर (iv) एक करोड़
(v) पोस्ट बैग या पोस्ट बॉक्स

8.7 **I.** (i) सही (ii) गलत (iii) गलत (iv) सही (v) गलत

II. (i) घ (ii) ग (iii) ग (iv) ख (v) ग

आपके लिए क्रियाकलाप

- नजदीकी डाकघर में जाकर लिफाफे में साधारण डाक, रजिस्टर्ड डाक, मनी आर्डर का शुल्क और पोस्टल आर्डर, प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड, डाक प्रमाण-पत्र का शुल्क मालूम कीजिए।
- नजदीकी डाकघर में जाकर राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र के लाभों के बारे में पता लगाइए।

कृपया ध्यान दीजिए :

इस पाठ में हमने डाक द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सन् 2011 तक की जानकारी दी है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि नवीनतम जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर से जानकारी लेकर अपने ज्ञान को बढ़ाएं।